आत्म निर्भर भारत

समृद्ध किसान सशक्त किसान

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

1. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि–** किसानों को कृषि निवेशों की तत्काल व्यवस्था के लिए 01.12.2018 से समस्त पात्र कृषकों को प्रतिवर्ष रू0 6,000.00 की धनराशि रू0 2,000.00 की तीन समान किस्तों में प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान में योजनान्तर्गत पंजीकृत कृषकों की संख्या 9.00 लाख है तथा अब तक रू0 2753.20 करोड़ कृषकों के खातों में हस्तानान्तरित किये जा चुके हैं।
2. **प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना–** यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना 18–40 वर्ष के लघु एवं सीमान्त किसानों हेतु 09 अगस्त 2019 से प्रारम्भ की गयी है, जिसमें अब तक 2130 कृषक पंजीकृत हुये हैं। योजना में अधिक से अधिक पात्र कृषकों को जोड़ने के प्रयास जारी हैं।
3. **परम्परागत कृषि विकास योजना/जैविक कृषि–** योजनान्तर्गत परम्परागत फसलें, सब्जियॉ, फल,फूल एवं रेशम उत्पादन के 4485 क्लस्टरों में 89900 हैक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक कृषि कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जिसमें 5229 ग्रामों के 224250 कृषक लाभान्वित हुये हैं तथा जैविक उत्पादन एवं उत्पादों के विपणन में वृद्धि हुयी है। आतिथि तक जैविक कृषि के अन्तर्गत 2.23 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादित किया जा चुका है।
4. **फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेन्टर–**कृषकों को सुगमता/सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पर्वतीय/मैदानी क्षेत्रों में 3085 फार्म मशीनरी बैक, 313 कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित किये गये हैं।
5. **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–** सिंचाई हेतु आवश्यक जल एवं जल स्त्रोंतों का आंकलन कर उपलब्ध जल का आवश्कता के आधार पर समुचित उपयोग करते हुए कम से कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादन लेने हेतु सिंचाई संरचनायें, जल संभरण टैंक, एच.डी.पी.ई. पाईप, माइक्रो स्प्रिक्लर आदि अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
6. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–**चयनित जनपदों में चावल, गेहूँ, मोटे अनाज एवं दलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रदर्शनों का आयोजन, उन्नत बीज, पौध एवं मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन, जैव उर्वरकों, सिंचाई यंत्रों का अनुदान पर वितरण किया जा रहा है।
7. **वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (नमसा–रेड)–**प्रदेश के वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से समेकित कृषि प्रणाली, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर कार्य किया जा रहा है।
8. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना–** योजना के अन्तर्गत खरीफ 2016 से खरीफ 2024 तक 10.97 लाख कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ा गया तथा अब तक 2.13 लाख कृषकों को रू0 43.36 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान हुआ है।
9. **मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना–** कृषि क्षेत्र के समग्र विकास, स्थानीय स्तर की आवश्यकता की पूर्ति हेतु एवं कृषकों की आय में वृद्धि हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना का संचालन किया जा रहा है। यह योजना मुख्य रूप से गैप फिलिंग के लिए तैयार की गयी है।
10. **आउटलेट द्वारा जैविक उत्पादों का विपणन–** वर्तमान में उत्पादित हो रहे जैविक उत्पादों को प्रदेश में ही उपलब्ध संभावनाओं के माध्यम से विपणन हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों के प्रसिद्ध पर्यटक तथा धार्मिक स्थलों पर आउटलेट बनाये जा रहे है तथा वर्तमान में 304 आउटलेट का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा हैं।
11. **कृषि अवसंरचना निधि (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड)–**फसलों की कटाई के बाद फार्म–गेट तथा एग्रीगेशन प्वांइट्स में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की फण्डिग के लिए ऋण वितरण की वित्तीय सुविधा प्रदान की जा रही है। योजना वर्ष 2025–26 तक प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य को रू0 785.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है तथा अब तक रू0 368.38 करोड़ धनराशि का ऋण बैंको द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हैं।
12. **स्टेट मिलेट मिशन–** प्रदेश में स्टेट मिलेट मिशन रू0 73.16 करोड़ का संचालन वर्ष 2023–24 से किया जा रहा हैं, जिसके अन्तर्गत मिलेट फसलों के उत्तपादन, प्रोत्साहन, प्रसस्करण एवं विपणन सुविधाओं का सुदढ़ीकरण करते हुये उनके क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्वि की जायेगी। साथ ही मिलेट फसलों को एम0एस0पी0 पर सहकारिता विभाग के माध्यम से क्रय किया जा रहा हैं।

उपरोक्त सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी हेतु जनपद के मुख्य कृषि अधिकारी अथवा कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के टोल–फ्री दूरभाष संख्या–18001800011 में सम्पर्क किया जा सकता है।

समस्त कृषक बन्धुओं को स्वतन्त्रता दिवस की हार्दिक बधाई

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी